

प्रेस नोट

आज दिनांक 03-02-2021 को थाना मण्डुवाडीह पर वकील पुत्र वंशराज पटेल निवासी मड़ौली थाना मण्डुवाडीह वाराणसी द्वारा सूचना दी गयी कि मेरी पुत्री अंशिका पटेल उम्र- 04 वर्ष कही चली गयी है, मैंने आस-पास कई जगह खोजबीन किया किन्तु पता नहीं चल रहा है। सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह द्वारा मिशन शक्ति पुलिस टीम व फ़ैण्टम के कर्मचारियों को खोजबीन हेतु रवाना किया गया। पुलिस टीम उक्त बच्ची की तलाश एवं लोगों से पूछताछ करते हुए एफ सीआई तिराहा मण्डुवाडीह पहुँची जहाँ उन्हें एक बच्ची दिखाई दी, जिसकी फोटो से मिलान करने के पश्चात अंशिका पटेल को थाना मण्डुवाडीह लाया गया। बच्ची के माता-पिता को थाना मण्डुवाडीह बुलाकर बच्ची को उन्हें सकुशल सुपुर्द कर दिया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

प्र०नि० मण्डुवाडीह परशुराम त्रिपाठी, व०उ०नि० राजेश कुमा त्रिपाठी, उ०नि० लवकुश यादव, का० विपिन तिवारी, का० रानिवास व मिशन शक्ति टीम थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 03.02.2021 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर के उ0नि0 हरिशंकर मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में ताड़ी खाना तिराहे के पास मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खजुरी तिराहे के पास एक व्यक्ति झोले में कपड़े लेकर लोगों को बेचने हेतु दिखा रहा है, जो संकुल भवन से चोरी हुआ कपड़ा लग रहा है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के चौका घाट पुल के पास पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिसकी तलाशी ली गयी तो उसके पास झोले में रखे हुए 02 अदद कोट, 01 अदद शॉल, 03 अदद नेहरू कोट व रु0-2000/- नगद बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान पकड़े गये व्यक्ति द्वारा बताया गया की उक्त सामान मैने दिनांक 31-01-2021 को रात्रि में संकुल भवन अर्बन हाट दुकान नं0-92 से चोरी किया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मुकेश कुमार को समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मुकेश कुमार पुत्र धनु भर निवासी ग्राम धबछुआं पोस्ट सिकरौल लख, थाना नवनगर जिला बक्सर बिहार उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अदद कोट, 01 अदद शॉल, 03 अदद नेहरू कोट व रु0-2000/- नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 हरिशंकर, हे0का0 कमल सिंह व हे0का0 ओमप्रकाश यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 17/2021 दिनांक: फरवरी, 03/2021

प्रेस नोट

दिनांक 02.02.2021 को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0010/2021 धारा 379/411/414 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शाहजेब खान पुत्र समसुद्दीन निवासी C 19/15 बादशाह बाद कालोनी लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी को वीआईपी लॉन लल्लापुरा के पास से समय करीब 17.05 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अभियोग उपरोक्त में चोरी गई एक अदद मोटरसाइकिल HERO HF DELUXE संख्या UP 67 K 3764 बरामद हुई। अभियुक्त शाहजेब खान उपरोक्त की निशानदेही पर आज दिनांक 03.02.2021 को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में सहअभियुक्त जाहिद उर्फ गोलू पुत्र पप्पू निवासी व्यापारी रफीउल्ला का मकान नं0 19/0/ कब्रिस्तान के बगल 18में फातिमान रोड लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी को जयसिंह चौराहे के पास से समय करीब 01.05 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शाहजेब खान पुत्र समसुद्दीन निवासी C 19/15 बादशाह बाद कालोनी लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी ।
2. जाहिद उर्फ गोलू पुत्र पप्पू निवासी रफीउल्ला व्यापारी का मकान नं0 19/18 कब्रिस्तान के बगल में फातिमान रोड लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल HERO HF DELUXE संख्या UP 67 K 3764

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 विनोद कुमार विश्वकर्मा, का0 मुकेश यादव व का0 सचिन सिंह थाना चेतगंज वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 18/2021 दिनांक: फरवरी, 03/2021

प्रेस नोट

थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अभियुक्त मेराज अहमद द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से क्रय किये गये ट्रक वाहन संख्या UP 60 D 7411, बजाज पल्सर मोटरसाइकिल संख्या UP 65 DJ 0706 एवं भूखण्ड संख्या एस 20/53-38 कैण्टोनमेन्ट एरिया थाना कैंट, अनुमानित कीमत रु0-49,54,600/- की गैंगेस्ट एक्ट की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु०अ०सं०-236/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त मेराज अहमद पुत्र जलालुद्दीन निवासी E-435 अशोक विहार कालोनी थाना जैतपुरा वाराणसी, स्थायी पता ग्राम महेन्द्र थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर एक शातिर किस्म का अपराधी है तथा वर्तमान में जिला जेल वाराणसी में निरूद्ध है। अभियुक्त उपरोक्त अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। मेराज अहमद द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धनराशि से एक ट्रक वाहन संख्या UP 60 D 7411 (अनुमानित कीमत रु0-15,00,000/-), एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल संख्या UP 65 DJ 0706 (अनुमानित कीमत रु0-60,000/-) एवं एक भूखण्ड संख्या एस 20/53-38 कैण्टोनमेन्ट एरिया थाना कैंट वाराणसी (अनुमानित कीमत रु0-33,94,600/-) को जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 03-02-2021 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगेस्ट एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डुगडुगी पिटवाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 03.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 213 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5663 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 1008 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 318 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1778 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 294 भादवि की कार्यवाही व 192 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।